—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 92/2021

उनवान

गोपाल पुत्र गुलाब जाति कुम्हार निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री मसूद परवेज

बनाम

1. जगदीश,
2. कालू पि0 नौरत,
3. काली पत्नी टीकम,
4. महेन्द्र,
5. सुरेन्द्र,
6. राजेन्द्र,
7. शिवजी पि0 टीकमचन्द,
8. हंगामा पुत्र पन्ना जाति कुम्हार नि0 देराठू नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 3 से 7 जरियें अधिवक्ता श्री शांति प्रकाश शर्मा
9 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 18.2.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू में स्थित आराजी मुतनाजा प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

पुराना खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
32	3—12—0	40	0.3670
		40/7391 (अवाप्त)	0.05
		39/7389 (अवाप्त)	0.07
		40/7519	0.16

आराजी मुतनाजा प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी/कब्जे काश्त की है। अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती से उक्त आराजी परर कब्जा करने पर उतारू है। आराजी मुतनाजा के वंकिंग खसरा नम्बर 32 के हाल खसरा नम्बर 40 व 40/77519 को हाल नक्शा में तरमीम करते समय गलत तरमीम कर दिया। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा की राजस्व [illegible] दुरुस्त किया जावे। अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण [illegible] तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 7 ने जवाब पेश कर [illegible] किया कि मौकिक खसरा नम्बर 32 [illegible] 1—5—0

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

भूमि अप्रार्थीगण के पिता/पति टीकमचन्द ने छोटू, किशना, सुखलाल पि. बंशी तथा गोपाल, हेमराज, व कैलाश पि. गुलाब से मूल्यवान प्रतिफल राशि देकर क्रय की है। उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 63 दिनांक 19.05.1990 स्वीकृत किया गया। क्रय की गयी आराजी पर टीकमचन्द ने कृषि आराजी की देखभाल के लिये दो कमरे का निर्माण करवाया व टयुबवेल खुदवाया। टीकमचन्द की आराजी में से 0–7–0 भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त की गयी। जिसका नामान्तकरण संख्या 482 दिनांक 15.09.1992 स्वीकृत किया गया। कालान्तर मे एन.एच.ए.आई. द्वारा शेष 18 बिस्वा भूमि में से 14 बिस्वा भूमि अवाप्त की गयी। जिसका नामान्तकरण संख्या 289 दिनांक 28.02.2004 स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा क्रयशुदा आराजी 1–5–0 में से 1–1–0 भूमि अवाप्त की जा चुकी है। शेष 0–4–0 भूमि पर टीकमचन्द ने कृषि आराजी की देखभाल के लिये दो कमरे का निर्माण करवाया व टयुबवेल खुदवाया। व उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

प्रार्थी का कथन है कि आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण है। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। किन्तु प्रार्थी द्वारा समान पक्षकार व समान आराजी मुतनाजा बाबत एक अन्य राजस्व वाद संख्या 150/2021 व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2019 हाजा न्यायालय में पेश किया है। उक्त प्रार्थनना पत्र की पत्रावली में दिनांक 24.4.19 को राजस्व रिकर्ड की यथाास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी मुतनाजा बाबत समान पक्षकार के बीच नया प्रार्थना पत्र व राजस्व वाद पेंश किया है। प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नही किया है कि उनके द्वारा किय कारण से नवीन वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रस्तुत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित है। जिस पर सुनवाई का कोई औचित्य नही प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा बाबत पूर्व में राजस वाद व अस्थायी निषेघाज्ञा का प्रार्थना पत्र लम्बित है। प्रार्थी द्वारा तथ्य छूपाते हुये नवीन राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्राथी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम [illegible] 40 रकबा 0.3670, 40/7391 रकबा 0.05, 39/7389 रकबा 0.07 व 40/[illegible]9 रकबा 0.16 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद